

the whole country. All our programmes should be seen in the overall context in which we are functioning today. The people should realise the difficulties of nation building in the sort of situation that exists in our country as well as in most other places around us.

I thank all the Members for their patience, I commend the President's Address for adoption. I request all those who have moved amendments to withdraw them.

Thank you.

MR. SPEAKER : A number of amendments have been moved by the Members to the Motion. I shall put all the amendments to the vote of the House.

The amendment's were put and negatived

MR. SPEAKER : Now I shall put the main motion to the vote of the House.

The question is :

"That an Address be presented to the President in the following terms :

"That the Members of Lok Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on the 23rd February 1984."

The motion was adopted

17.03 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE :
DISAPPROVAL OF INDUSTRIES
(DEVELOPMENT AND REGULATION)
AMENDMENT ORDINANCE AND INDUSTRIES (DEVELOPMENT
AND REGULATION)
AMENDMENT BILLS

MR. SPEAKER : The House will now take up the Statutory Reso-

lution at Sr. No. 12 and the Industries (Development and Regulation) Amendment Bill, at Sr. No. 13, together for which two and a half hours have been allotted.

Dr. Subramaniam Swamy.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY :
(Bombay North East) :

I beg to move :

"This House disapproves of the Industries (Development and Regulation) Amendment Ordinance, 1984 (Ordinance No. 1 of 1984) promulgated by the President on the 12th January, 1984."

I oppose this Ordinance on a broad moral principle that, firstly it is inadequate, it is peace-meal, and secondly, that there has been a general neglect of small industries by the Government in the last four years.

First of all, all that this Ordinance establishes, or tries to achieve is the question of certain exemptions, outlined in the Industries Act, 1951. But the fact of the matter is that from the very beginning in 1947, following the Gandhian path, we had planned to give small industries a great deal of importance and focus. But in fact what we have found over the last 37 years is a neglect—progressive neglect—of the small industries, as a group and from time to time this Ordinance or these changes have been brought about and as a collection of notifications given by the Department of Industrial Development shows, that from time to time this nit picking as I might call it, small tinkering of the concept takes place. So, I would; therefore, rise to oppose it on this ground is not that this a very sincere effort in prompting the small industries as a group.

The second thing is that during the Janata rule we had worked out a concept of district industrial centres. This concept was, in fact, in my opinion, a revolutionary one, because through that we had hoped to solve the problem of unemployment. In my opinion unemployment in this country can only be solved by encouraging the self-employment sector. And in the industrial sector, the small industry is the key thing in that. And what we had proposed to do is to build up these centres and in those centres in the district the people would be able to get all the services and facilities and permissions so that they could start the small industries in that area itself. Presently the small industrialists complain that the tax system, banking system, credit system and all of them are working against them and they have been squeezed from time to time. In fact, whatever facilities are offered from time to time are utilised by the monopoly houses through ghost small industries. The Government knows about it, but it is not at all serious.

Some time ago, the House debated the question of import of oilseeds. You will remember that there was a unanimous demand from the opposition here that foreign imports were not necessary but the collaborations were being encouraged. I would say that particularly since the Government took the loan from the International Monetary Fund they have made certain changes in the foreign collaboration policy by which the small industries are being adversely affected in the country. And in a large number of areas where it is not necessary to have foreign collaboration the Government is allowing it. I do not know what the compulsions are. I do not know whether it is due to the commissions that have been offered. I do not know what the reasons are. But the fact of the matter is, wherever I go in the country; the small industries are complaining that here they are producing it locally but the Government is, in fact, encouraging foreign companies to come here and squeeze them out. For example, recently some

Indian small industries have said that they have the photostate equipment. They have the technology. But the Government goes on giving permission to all these big monopolists and multi-nationals from foreign countries to come and squeeze the small industrialists.

17.07 hrs.

(MR. DEPUTY-SEPAKER *in the Chair*).

Finally I would oppose the Ordinance on the ground that the small industrialists actually suffer from inability to have a proper marketing channel. In fact, if you look at the experience of Japan, you would find that the greatest assistance the Japanese Government gave to their small industrial network, was to provide marketing outlets and facilities. Here the poor small industrialists have to compete with large scale companies in the question of marketing. Therefore, they are not in a position to fight. That is how they are being pushed out. I think, from the point of view of employment, small industries should be given back the centre stage which the Janata Party had given and this Government pushed them off the stage. If the Government comes forward and gives a concrete assurance and makes a statement here which would satisfy me that they are, in fact, considering the small industrialists and the small industry as a backbone of our industrial development and not treat it as an orphan child, I am prepared to withdraw my opposition. But I am sure, they will not do it. Therefore, I rise to oppose this Ordinance.

THE MINISTER OF INDUSTRY
(SHRI NARAYAN DATT TIWARI) : I
beg to move :

"That the Bill further to amend the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, be taken into consideration."

PROF. RUP CHAND PAL (Hooghly) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, the Industries (Development and Regulation) Amendment Bill has been brought to take the right for the Government to reserve items for the small industries. As has been stated, no less than 837 items are reserved for the small industries but still we see that the small industries cannot be protected by the Government. It is just as there is the pronouncement of *garibi hatao* but the poor people cannot be protected. Even after all the measures taken by the Government and all the pious pronouncements made, the small industry is in distress. Rather I will say that though the small-scale sector plays a vital role in our economy and accounts for more than 50 per cent of our GDP and more than 26 or 27 per cent of our total industrial exports and though 95 per cent of the total factories are owned by the small-scale sector, the present picture of this sector is that it is gasping and a large number of them are already dead. According to one estimate, out of 5.5 lakh small industrial units, about 70,000 are sick and only in one State about 10,000 of them are closed involving about 10 lakh workers.

The small-scale industry which has all along been upheld through the Constitution and all other measures as the most appropriate industry in our country which can provide employment to a large section of people, has not been protected by this Government although pronouncements have been made. Even in the 20-Point Programme it has been said that it is the responsibility of the Government to protect the interests of the small-scale sector, it has been announced as the priority sector, the Reserve Bank of India has issued instructions to the scheduled commercial banks to treat the small-scale sector as a priority sector. But the small-scale units, at least 70,000 of them, are sick and they cannot be revived because of the Government's wrong policies, because

of the Government's step-motherly attitude towards this vital sector.

It has been rightly said by my colleague here—although I differ with him on most of the points, with most of his views, at least on this one point I do agree...

(Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER : You should simply say you differ vehemently.

SHRI SUNIL MAITRA (Calcutta North East) : No, Sir, we all belong to the Opposition.

PROF. RUP CHAND PAL : I am happy to note that you agree that the small-scale sector is being swallowed by the multi-nationals.

According to a very recent survey, undertaken by a very eminent economist, Dr. Goyal, the multi-nationals—not the MRTP companies or the FERA companies—even after receiving so many instructions from the Government to bring down their foreign equity to 140 per cent or below, have not cared to do so. At least 300 such cases have been mentioned in that study.

They have started competing with the small-scale sector in drugs and pharmaceuticals. As a result, the small-scale industry is facing a crisis. A number of committees, like the Sachar Committee and others, parliamentary committees, non-official committees, have made specific recommendations on how to protect the small-scale industries, how to provide them better marketing facilities, how to protect their marketing interests, because they cannot compete with the multi-nationals.

I will give some examples. Shoe-making is reserved to the small-scale sector. But who is marketing these shoes which are manufactured in the small-scale sector? It is the Bata Shoe Company. So far as several

engineering items produced in the small-scale sector are concerned, they are marketed only by the multi-nationals, who are minting money, who are swallowing a major share of the profits, leaving a very small share to the actual manufacturers.

Similarly, biscuit is mentioned as a subject reserved for the small-scale sector. Yet, it is manufactured in our country by multi-nationals. Tooth-paste is declared as an item which is again reserved for the small-scale sector. But what is the brand of tooth-paste which we use every day morning? It is either Forhans, Colgate or some similar brand which is manufactured and marketed by multi-nationals. Soap is a reserved item. Who manufactures it? The Hindustan Lever, which is the Indian subsidiary of Unilever. How can small-scale units compete with these giants?

Then I come to the question of supply of raw materials to the small-scale units. In spite of the various announcements made by the Government that these units will be supplied raw materials in time and that they will not be starved of them, the position is far from satisfactory. For want of time, I will give only one instance. So far as steel is concerned, West Bengal has the concentration of about 25 per cent of the small industries connected with steel. In fact, one road in Calcutta is known as the Ruhr of India. What is the position today? 3,000 units in the small-scale sector are closed for want of either raw materials or marketing facilities. The Small Industries Corporation of West Bengal have approached the Government of India time and again with the request, "Please give us the raw materials, their timely supply is required so that we can try to revive the sick units and rehabilitate them". But what is the result? The Steel Authority of India would not give you the required quantum of steel when you need it; on the other hand, when you do not need it; they put pressure on you to lift the stock. In that way,

the large amount of money of the small scale unit is locked up in the purchase of steel, which they do not require at that particular moment.

Time and again, this was brought to the notice of the Central Government by the Government of West Bengal. What is the situation prevailing in steel? While the small scale units are deprived of their raw material, the non-official channels manage to get plenty of steel, which they sell in the blackmarket. Though the policy is supposed to encourage the small industries, they do not get the raw materials in time. When there is a huge supply, the hoarders unload their supply in the market and there is a fall in prices.

Then you find the Government is pressurised by the Steel Authorities, now that we have ample supply, you stop piling. This cannot be the policy.

Sir, in this Amendment Bill there is nothing to quarrel. But it is going to improve the situation in our country, particularly in respect of the problems being faced by the small-scale sector? The number one problem with the small scale industries is the lack of adequate credit from the Scheduled Commercial Banks. Although it has been declared a priority sector, not much of credit has been provided to them from these banks. I had an occasion to go through some of the documents and annual reports of the Scheduled Commercial Banks and I found that the picture is dismal in regard to the credit given to the small scale sector, credit given to the rural industries, credit given to the backward areas or where the small industries had set up the new units. There the problem is that the guarantees are required; securities are required in such a manner that the small industries owners, or the promoters of such small industries cannot afford to fulfil the requirements. They are harassed as much as they can be. On the other hand the monopoly houses, big business, eat the major share of this cake. You know all these things.

[Prof. Rupchand Pal]

This was raised several times that only one financial institution had given only to two such houses—Tatas and Birlas—more than one hundred crore rupees and they did not pay back, on the other hand, more than Rs. 2,000 crores are locked up with them from these financial institutions. A large amount due from the twenty monopoly houses has been written off, although we as Members of Parliament are not entitled to have full information regarding that. But the small-scale sector in every way is harassed. And when the Government wants to mop up excessive liquidity, the new measures are taken i.e. the cash reserve ratio goes up say from 8.5 to 9 or from 9 to 10. the first casualty of whatever measures of credit squeeze that are adopted by the Reserve Bank of India and subsequently by the Scheduled commercial Banks is the small-scale sector. The small-scale sectors are the victims of another thing also. The Government has been approached several times on this score that the Bills are not paid by the large and medium houses. They have limited money. Although there are stipulations that within 90 days, within 100 days, the bills will have to be paid by the large houses, these business houses not only do not pay within the specified time limit, but they are also looting the financial institutions. They also deprive the small scale sector of their dues for a long time. And in the mean time because their resources are limited, their bills are not paid in time, the small scale sectors grow sick. So, when we are looking into the problem, we shall have to look at it afresh.

We had a lot of differences with the former Prime Minister, Shri Charan Singh; but he did one thing, at least on one score that in the sphere of cosmetics and certain other items, he declared that certain brands will have to pay tax to the tune of 105 per cent. And you know what had happened? The multi-nationals engaged in toilets and cosmetics had to find markets

abroad and the small industries were benefited as a result of the above measure then. In the toilets and cosmetics which account for about Rs. 500 crores, the small industries are being pushed out of the market by monopolists and multinationals. Ponds—it is unimaginable, Sir, that in a country like ours toilets powder is manufactured by that Company. Hair oil—that is reserved for small industries is manufactured by some multinational company. Tooth paste—that is monopolised by some multinational companies. But during the days of Shri Charan Singh's budget there was a reservation and at least in two or three spheres this small scale sector had found a way out, the multinationals could not just control the market and have it in their grip. And because of some incentives the small scale sector had been revived, although only a little bit. So, my plea to the Government would be that you are just bringing one amendment, the Industries (Development and Regulation) Amendment Bill. But you do not implement whatever is already there. For example, the taxation policy of the Government, about the excise duty. The large scale sector can afford to have their contact men, to have their advisers and others, they can have their barristers and lawyers to go to the courts and thousands of crores of rupees in the form of excise duty can be locked up in the form of litigation.

SHRI SUNIL MAITRA : Even after litigation, they are not paying.

PROF. RUP CHAND PAL : What will happen to the small scale sector? Time and again in respect of this import; customs and all these measures, the Government is just making changes. I have met some people. They say, 'We are unable to just understand the implications of certain changes being made day-to-day nor we have the money to find the services of experts in this line. So we are the worst sufferers as result of

[Prof. Rup Chand Pal]

all these decisions.' Even if sometimes decisions are made, the so-called measures are taken in favour of the small scale sector, the benefits do not reach them because they do not understand the implications of the measures because they will have to understand themselves, they cannot requisition the services of experts for which they will have to pay, which they cannot afford. In the mean time certain other changes have come and the multinationals and monopoly houses through their intelligence, through manoeuvring just enjoy and swallow the benefits that have been meant for the small scale sector.

So, my earnest appeal to the Government would be this. If you are at all serious, you should have to make one comprehensive legislation with a strong political will to strengthen the small scale sector which is vital to our economy, which is vital to our further economic development.

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान को इस बात का गर्व होना चाहिए कि औद्योगिक क्षेत्र में संसार में आज उसका 10वां स्थान है। हमने जो प्रोग्रेस करनी थी, की है लेकिन हमें इस पर ही संतोष नहीं करना है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद आपने कदम उठाये हैं और कानून में संशोधन किए हैं।

अभी-अभी हमारे प्रधान मन्त्री ने एक बात कही थी कि जहां कहीं भी कर्प्शन है, भ्रष्टाचार है, मालूम पड़ने पर सख्त कदम उठाए जायेंगे। आप देश के कोने-कोने में छोटे उद्योग फैलाना चाहते हैं। यह आपका लक्ष्य है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कम से कम 28 हजार उद्योग आज

भी बीमारी की अवस्था में हैं। इसका कारण एक है आपके इतने कानून पास करने के बाद भी आपका कानून इतना मजबूत नहीं था कि उस कानून के आधार पर आप उन लोगों को रोक सकते। आपने जो संशोधन किया है उस संशोधन की बावत तो मैं आपका समर्थन करता हूं। एक बात है जो छोटे उद्योगों को पनपाती है।

जो छोटे उद्योग लगाए गए हैं उनके बारे में मैं प्रार्थना करूंगा माननीय मन्त्री महोदय से कि वे एक बार मेरे जिले में पधारने का कष्ट करें। मेरे जिले में 600 ऐसे छोटे-छोटे उद्योग लगे हुए हैं लेकिन वहां पर बड़े-बड़े उद्योग पति हैं जिन्होंने सबलैट कर दिए हैं छोटे-छोटे लोगों को। आपके जो अधिकारी लोग हैं वे भूखण्ड उन लोगों को देते हैं जो सबलैट कर देते हैं, उद्योग नहीं चलाते, उनका जो मुनाफा आता है वे खुद कमाते हैं। इस तरह की बातें एक जगह नहीं हो रही। एक बात और हो रही है कि बड़े अफसर मिलकर और राजनीतिज्ञ मिलकर जिनको संरक्षण मिला हुआ है, वे अपने उद्योगों को सबलैट कर देते हैं। सबलैट करके मुनाफा कमाते रहते हैं। मैं समझता हूं कि इस कानून में एक बात होनी चाहिए कि उन्हीं लोगों को ही भूखण्ड दिए जाएंगे उन लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, उन लोगों को कर्जा दिया जाएगा जो वास्तव में उद्योग करते हैं। कुछ सरकारी अधिकारी और राजनीतिज्ञ अपने पद का लाभ उठाकर रिश्तेदारों से मिलकर जमीन ले लेते हैं और लेकर के सबलैट कर देते हैं। हमारे प्रांत में मुख्य मन्त्री ने यह बात देखी कि सरकारी अधिकारी लोग किस प्रकार से जमीन हड़प लेते हैं और

जमीन लेकर वहां उद्योग लगा लेते हैं। और मुनाफा कमाते हैं। इसलिए इस तरह के शोषण को रोकने के लिए उन लोगों को उद्योग मिलने चाहिए जो लोग अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं। लेकिन कई बार उन लोगों को उद्योग दे दिए जाते हैं जो सबलैट कर देते हैं। इसके लिए आपको ऐसे डायरेक्शंस सभी राज्यों को भेजे जाने चाहिए और जहां-जहां ऐसे औद्योगिक केन्द्र हैं वहां ये डायरेक्शंस जाने चाहिए। उनको भूखण्ड नहीं दिए जाने चाहिए। बड़ी कीमती जमीनों कास्तकारों से ली जाती हैं और लेने के बाद छोटे उद्योगों के नाम पर उन लोगों को जमीन नहीं दी जाती जिनको आवश्यकता है बल्कि मुनाफाखोरों को दी जाती है। इस प्रकार छोटे उद्योगों की उन्नति नहीं हो पाती।

दूसरी बात यह है कि वहां पर जो अधिकारी बैठे हैं वे इतने एक्सपर्ट नहीं हैं। कृपा करके एक कमेटी बनाइये जिसमें संसद सदस्यों को भी शामिल कीजिए और इस तरह के उद्योगों की जांच करवाइए। आप को पता लगेगा कि आपकी भावना के अनुकूल वे लोग काम नहीं करते हैं। किसको उद्योग लगाने के लिए लैण्ड लेने के लिए 10 बार अधिकारी के पास जाना पड़ता है, लोन लेने के लिए दस बार अधिकारी के पास जाना पड़ता है। उसको चक्कर पर चक्कर लगाने पड़ते हैं।

मैं जब भी मन्त्री महोदय के पास कोई समस्या लेकर गया तो मन्त्री महोदय ने पूरी सहानुभूति पूर्वक सहयोग दिया और लोगों को इसका लाभ मिला है। लेकिन कैसे काम चलता है इसको देखने की

आवश्यकता है। एक छोटे से काम के लिए टेबल पर फाइल पड़ी रहती है। यह कह दिया जाता है कि फाइल हमारे पास नहीं है। इस तरह अधिकारियों के कारण इन छोटे उद्योग वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। 'वन-विन्डो सर्विस' आपने बनाई थी। इससे कोई फायदा इनको नहीं हुआ। इनको न तो राँ-मैटी-रीयल और न भू-खण्ड ही मिलता है। इनको जो परेशानी होती है, उसकी वजह से ये लोग अपनी पूरी क्षमता के साथ पनप नहीं सकते। "नो-डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्री" आपने बनाया है। वहां पर एक्सपर्ट्स कम हैं और आपके इन्जीनियर्स परेशान करते हैं। म्यूनिसिपैलिटी का उनको सहयोग नहीं मिलता। इन छोटे उद्योग वालों को पानी, बिजली, जमीन और बैंकों से लोन वगैरह की परेशानी भी बनी रहती है।

15 अगस्त, 1983 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने सैल्फ एम्प्लायमेंट स्कीम लागू की उन्होंने कहा कि इस स्कीम के अन्दर उन लोगों को लगाना चाहती हूं जो उद्योग चलाना चाहते हैं। आपने जो निर्णय लिया है कि छोटे-छोटे उद्योग लगाए जायेंगे, उनकी जांच करवाइए। इस प्रकार की स्कीमों का किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन होगा, यह देखने की बात है। अपने इलाके की बात कहना चाहता हूं। नदी के किनारे बड़े-बड़े लोगों को प्लॉट अलॉट किए जाते हैं, जिसके कारण पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन बोर्ड के मना करने पर भी लोग पोल्यूशन करते हैं। राजस्थान जैसे सूखे राज्य में जहां नदी सिर्फ बरसात में ही बहती है, उसके बाद बन्द हो जाती है, वहां ऐसा काम हो रहा है। वह पानी जाकर कुए में गिरता है, उसको खराब

[श्री मूलचन्द डागा]

करता है और साथ-साथ जमीन को खराब कर देता है। पोल्युशन एक्ट लागू है। लेकिन फिर भी जमीन एलाट कर दी जाती है, नदी के किनारे जो जमीन है वह कर दी जाती है। पता नहीं करने वाले गौन हैं और क्या कर देते हैं। इनकी आप जांच कराएं।

आपने ठीक कदम उठाया है कि छोटे उद्योगों के लिए आपने आइटम्ज रिजर्व कर दी है जिन को बड़े उद्योग नहीं बना सकते हैं। लेकिन यहाँ भी शोषण करने वाले लोग इस तरह की आइटम्ज को बना रहे हैं और उद्योग चला रहे हैं। यह भी आप देखें।

आपकी सर्विस क्लास में डैडीकैटिड वर्कर्स हैं, यह मैं मानता हूँ। ईमानदार और सेवा करने वाले अधिकारीगण हैं। उन अधिकारियों को कभी-कभी कृपा कर आप जांच पड़ताल करने के लिए भेज दिया करें और वे पता लगायें कि जो जिला उद्योग केन्द्र खुले हैं वहाँ क्या धांधली हो रही है। आप पता लगायें कि जो बातें यहाँ कही जाती हैं उनकी तरफ वे ध्यान देते हैं या नहीं देते हैं, उनके अनुरूप काम करते हैं या नहीं करते हैं। अगर ध्यान दिया जाए तो छोटे-छोटे उद्योग बहुत पनप सकते हैं। प्रधान मन्त्री ने अभी अधिकारियों की बात कही है, उनके रवैये की बात कही है। जो फाइनेंशल कारपोरेशन है उसके अन्दर लोन लेने आप चले जायें एक-एक आदमी की फाइल 5, 6 महीने और 8 महीने बाहर ही नहीं आती है। रीको की फाइलों का यही हाल है। कभी-कभी जाकर उसके

लिए कहना पड़ता है फाइल निकालने के लिए। सिफारिश ज्यादा नुकसान करती है लेकिन जो नकदी सिफारिश होती है उससे फाइल जल्दी निकलती है। बहुत आसान तरीका नकदी सिफारिश वाला है। आप स्माल स्केल इण्डस्ट्री को पनपाना चाहते हैं। आप शिक्षित और पढ़े लिखे लोगों को जिनकी तादात छः करोड़ है और जो बेकार हैं अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि उनके लिये जो भी कानून हैं उनको एक पुस्तक निकालकर वह पुस्तक आप उनको उपलब्ध कर दें। वे छोटे उद्योग वाले कितने तंग होते हैं और कितने इन्स्पेक्टर उनके पास जाते हैं, इसको आप देखें। लेबर इन्स्पेक्टर परेशान नहीं करेगा अगर उसको पचास रुपये महीना दे दिया जाए। बायलर इन्स्पेक्टर नहीं करेगा अगर उसको चालीस रुपया दे दिया जाए। ई० एस० आई० का इन्स्पेक्टर आता है। दसियों इन्स्पेक्टर आते हैं। सब से बड़ी दुःख की बात यह है कि किसी को कोई कानून की जानकारी नहीं होती है। अगर आप उनके लाभ के लिए अपने विभाग से जो जो उनके लिए कानून हैं, उसकी एक पुस्तक निकाल दें तो उनका बड़ा भला हो सकता है। उस में सभी बेसिक बातें हों। हालीडे में काम तो नहीं हो रहा है इस की जांच करने भी इन्स्पेक्टर लोग पहुँच जाते हैं। सब की भेंट बराबर होती रहे तो कोई परेशानी नहीं होती है और सब खाना पूर्ति हो जाती है। आज उद्योग लगाना गुलाम होना है, अपना स्वाभिमान खोना है। आप अफसरों के पास जाएँ। वे भी हमारे भाई हैं। आप देखें कि किस नजर से आपकी तरफ वे देखते हैं। अपने आपको मालिक समझते हैं। वे समझते हैं कि हम लोग तो सर्वेंट्स हैं और वे मास्टर

हैं। उनको ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है। उन में हमारे भाई भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। छोटे-छोटे उद्योग पनपाने की जो आपकी नीति है जो आपका उद्देश्य है वह तभी सफल हो सकता है जब आपकी जो भावना है, जो आपका उद्देश्य है, उसको अमल में आप लाएं।

श्री बाबू राव परांजपे (जबलपुर) : इस विधेयक का स्वागत तो करना ही पड़ेगा। देर आयद दुरुस्त आयद वाली बात है। इस विधेयक को लाने का मूल कारण यह है कि बम्बई उच्च न्यायालय ने एक निर्णय जनवरी 1983 का दिया था और एक साल पहले जो निर्णय दिया गया था उसको अध्यादेश बना कर जो आप करना चाहते थे आपने किया। अगर उसके आधार पर विधेयक बना कर आप हमारे सामने आते तो कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। इस एक वर्ष मोकल सभा के कम से कम तीन सत्र हुए। किसी भी सत्र में आप विधेयक ला सकते थे। लेकिन आप नहीं लाए। अध्यादेश आपने जारी कर दिया। ऐसा क्यों होता है, यह विचारणीय प्रश्न है। आपको एक आदत सी पड़ गई है कि चाहे महत्व का मामला हो, स्थायी, अस्थायी मामला हो, आप अध्यादेश ले आते हैं और बाद में उसको आप विधेयक का स्वरूप दे देते हैं। आखिर ऐसा करने की आवश्यकता आपको क्यों पड़ गई थी। अगर एक वर्ष तक इंतजार किया जा सकता था और तीन सत्रों की प्रतीक्षा की जा सकती थी तो अब भी एक महीना या पंद्रह दिन और देरी हो जाती तो कौन सी मुसीबत खड़ी हो जाती। आप 20-25 दिन रुक कर विधेयक के रूप में इसको लाते तो कौन सी मुसीबत खड़ी हो जाती।

इस सदन में संविधान को जलाने की बहुत चर्चा हुई है और कहा गया है कि यह बहुत बड़ा अपराध है। सभी ने इसको कंडेम किया। लेकिन आप देखें कि संविधान में यह भी व्यवस्था है कि इस प्रकार की चीजों को विधेयक के रूप में लाया जाए न कि अध्यादेश जारी करके फिर उसको कानूनी रूप देने के लिए विधेयक ला कर यहाँ पास कराया जाए और अध्यादेशों का एक पुलन्दा खड़ा किया जाए। अगर ऐसा किया जाता तो इस प्रकार कीटिका को आप निमंत्रण नहीं देते। आगे आप इसका खयाल रखें यह मेरा आप से आग्रह है। अभी हमने देखा कि श्री बसन्त कुमार पंडित का एक गैर-सरकारी विधेयक है जो सातवें नम्बर पर है और इसी विषय से संबंधित है। 18 (ख) धारा के अन्तर्गत एक विधेयक प्राइवेट बिल के रूप में आज 7वें नम्बर पर पेंडिंग है। अगर सर्वांगीण विचार होता तो शायद वह प्राइवेट बिल इसी के साथ ले लिया जाता और इस प्रकार सदन का समय भी खराब होने से बच जाता, इसलिए ऊपर-ऊपर विचार होकर के जिस प्रकार विधेयक बनते हैं उस पर गम्भीरता-पूर्वक विचार होना चाहिये।

जो बातें यहां कही जा चुकी हैं उनको दोहराना नहीं चाहता। अनेक उन उद्योगों की बात यहां हुई जो स्माल स्केल में आने चाहियें। परन्तु उपर धड़ाधड़ चल रहे हैं। जैसे बाटा की बात हुई, अब सुना है कि टाटा उसको ले रहे हैं। भगवान जाने कितनी सच्चाई है। क्योंकि उसमें मुनाफा इतना जबरदस्त है कि सील बाटा की लग गई और बाजार में 77.90 पैसे का बिक गया। महात्मा गांधी के नाम की दुहाई

[श्री बाबूराव परांजपे]

तो देते हैं, परन्तु उन्होंने जो कुटीर उद्योग की बात की थी उस पर हमने पिछले 36 वर्ष में ध्यान नहीं दिया। आज ही प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में कहा यहां पर योजनायें क्यों विफल होती हैं? क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। हमारा पड़ोसी देश चीन है उसकी ताफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। अगर आज हम 70 करोड़ हैं तो चीन की आबादी 100 करोड़ है और 200 करोड़ हाथ काम करने वाले हैं। इस बात को मद्देनजर रख कर वहां योजनायें बनायीं गयीं। परन्तु हमारे यहां आजादी के बाद जो योजनायें बनीं उनको बनाने वाले तो भारतीय थे लेकिन उनके दिमाग में रूस या अमरीका था जहां इन्सान कम थे और मशीनें ज्यादा थीं। तो उन मशीनों के माध्यम को यहां ला कर के टाटा और बाटा की संस्कृति का निर्माण किया।

क्या परेशानी थी लुहार का बेटा छोटे गांव में किसानों और वनाकर अपने बाल-बच्चों का पालन पोषण करता था। रंदास का बेटा सादे जूते बनाता था जिसको हम और आप पहनते थे। परन्तु टाटा और बाटा की संस्कृति जो अपनाई गई उसके पीछे भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा कारण है। आज किसान का बेटा जो जुलाहा या चमार है वह अधिकारियों को घूस नहीं दे सकता, लेकिन टाटा और बाटा दे सकते हैं। इसलिए तमाम योजना इस देश में ऐसी लायी गई जिसके कारण भ्रष्टाचार का बाजार गर्म हुआ भ्रष्टाचार का नाम शिष्टाचार हो गया। उसके मूल में यह उद्योग नीति है, ऐसा मेरा आरोप है।

अनोंकों उद्योग इसमें लाये गये हैं जिन पर विचार होना चाहिये। जैसे बीड़ी का उद्योग है। हमारे मध्य प्रदेश में खेती के बाद दूसरे नम्बर का बीड़ी उद्योग है जिसमें कई लाख मजदूर इस बीड़ी उद्योग पर पलते हैं। परन्तु आज बीड़ी का उद्योग चलाने वाले अरबपति इस प्रकार खून चूस रहे हैं जिनकी कोई इन्तहां नहीं है। नियम तो बनाया आपने कि 1,000 बीड़ी बनाने वाले मजदूर को 7.87 पैसे मजदूरी मिलनी चाहिये। पर वास्तविकता यह है कि उसको 4 रुपये बड़ी मुश्किल से मिलता है और उसके बाल बच्चे भूखे मरते हैं। टी० बी० से बीड़ी मजदूर कई हजार की तादाद में हर जिले में हर साल मर जाते हैं।

योजनाएं तो आपने बीड़ी मजदूरों के लिये बहुत बनाई पर वह सब कागजों पर हैं। वास्तविकता बहुत विपरीत है। यहां जब भाषण और आंकड़े सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी का राम-राज्य का सपना भारत में साकार हो गया, परन्तु वास्तविकता क्या है? मैं तिवारी जी से विनती करता हूं कि एक बार मध्य प्रदेश में आकर बीड़ी मजदूरों की हालत देखिये कि किस तरह से वे लोग पिस रहे हैं। उन्हें बीड़ी उद्योग के बारे में विचार करना चाहिये। आज चन्द अरबपति और करोड़-पति गरीबों का खून चूस रहे हैं, उन्होंने श्रम अधिकारियों को भ्रष्टाचार के माध्यम से बांध रखा है। उनसे मुक्ति पाने के लिये बीड़ी उद्योग भी उसमें आना चाहिये, ऐसा मेरा उनसे विशेष अनुरोध है।

रही उद्योग विभाग के भ्रष्टाचार की बात, वह तो जग-जाहिर है। मध्यप्रदेश में आज अकेले 35 प्रतिशत उद्योग बीमार पड़े हुए हैं। कल्पना कीजिए आज मध्यप्रदेश

जैसे पिछड़े हुए प्रदेश में 35 प्रतिशत उद्योग अगर बीमार हो जाते हैं तो आखिर उस प्रदेश की हालत क्या होगी ?

बहां एक परेशानी और है। मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री का बहां के उद्योगों के बारे में सोचने का क्या ढंग है। उद्योग बन्द क्यों नहीं होंगे ? मैं रीवा के एक उद्योग की बात करना चाहता हूं। मध्यप्रदेश कत्था वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड के नाम से बहां कत्था बनाने का कारखाना चल रहा है पिछले 5, 6, साल से। इस वर्ष यह कारखाना बन्द होने जा रहा है क्योंकि मध्यप्रदेश शासन ने जो खैर बुड (लकड़ी) उनको देनी थी, जिसका एग्रीमेंट है, वह 50 प्रतिशत भी लकड़ी उसको नहीं दी। इसलिए नहीं कि जंगलों में लकड़ी नहीं है बल्कि इसलिए कि मुख्य मंत्री उसको बन्द करवाना चाहते हैं। यही कारण है कि वह कारखाना बन्द हो रहा है।

जहाँ तक बैंकों से कर्ज देने की बात है छोटे उद्योगों के लिए, वित्त निगम की बात है, वह तो मैं मानूंगा कि हमारे मध्यप्रदेश का वित्त निगम आज दूसरों की अपेक्षा, बैंकों की अपेक्षा ज्यादा ईमानदार है परन्तु एक बड़ा भारी दोष उसमें भी है। मैं एक छोटा उद्योग चलाता था पेपर इंडस्ट्री, सागर जिले में। अभी 6 महीने पहले ही मैंने उससे मुक्ति पाई है। मैंने भी इस वित्त निगम से एक बार 10 लाख और फिर 5 लाख का कर्ज लिया था, कुल 15 लाख रुपये लिए थे। लेकिन जब उद्योग डूबने लगा तो मुझे वहाँ के अधिकारियों ने अपने तौर पर कहा कि और कर्ज ले लो और इसमें से पूरा कर लो। मैंने कहा है कि देखिए, आपके मध्यप्रदेश वित्त निगम के जो कानून हैं, जिस प्रकार के कागज, रिटर्न डाक्यूमेंट आप चाहते हैं, उनसे जिस प्रकार से

इंडस्ट्रीज वाले परेशान होते हैं, अगर मुझे अगर ला लोन आपसे लेना पड़ा तो मैं उससे पहले आत्महत्या करना पसन्द करूंगा। इस प्रकार की कटु बात मुझे कहनी पड़ी। कहने का तात्पर्य यह है कि आज जिन नए उद्योगों को आप बढ़ावा देना चाहते हैं, उनकी हालत बहुत खराब है और भ्रष्टाचार तो मानों रग-रग में भरा हुआ है।

25 हजार रुपये वाली योजना जो बेरोजगारों के लिए है, जिसके आँकड़े आज प्रधान मंत्री जी ने बताए, वह आँकड़े ही हम सुनते हैं, वास्तविकता उसमें क्या है ? उस 25 हजार रुपए की योजना को पास करवाने में 2 हजार रुपए, जिला उद्योग केन्द्र में रेट तय है, वहां बिल्कुल देना पड़ता है। उसके बाद जब आदमी बैंक में आता है तो 5 हजार रुपये उसको वहां शिष्टाचार देना पड़ता है। आप कल्पना कीजिए की 25 हजार रुपए के कर्ज में अगर 7 हजार रुपए इस प्रकार से वह लोग ले लें तो कर्ज देने वाला भी सोचता है कि मुझे वह रकम तो वापिस करनी नहीं है क्योंकि बैंक वाला खा गया, जिला उद्योग केन्द्र वाला खा गया, क्या हुआ वह खाने वाला है। इस तरह से सरकार के खजाने में रुपया वापिस आना मुश्किल है।

मैं उद्योग मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि यह तो ठीक है कि आप बहुत अच्छे ढंग से नियम बना रहे हैं, परन्तु क्या उन नियमों का पालन होगा। अगर आप उद्योग विभाग का 25 प्रतिशत भ्रष्टाचार भी घटा पायें तो मैं कहता हूं कि 2, 4, 5, बरस आप नये नियम न बनाइए, परन्तु वह सारा विभाग ठीक कीजिए। अगर आप यह करते हैं तो आप साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं।

[श्री बाबू राव परांजपे]

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा):
उपाध्यक्ष महोदय, मैं इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 1984 का स्वागत करता हूँ। मंत्री महोदय यह जो बिल लाये हैं उसका स्वागत मैं इसलिए भी करता हूँ कि इस के जरिए से बहुत सी स्माल स्केल और एसिलियरी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलेगा और उस बढ़ावे की वजह से गरीब लोगों को आर्थिक तौर पर सम्पन्न होने में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। सरकार ने 872 आइटम्स इस बिल के जरिए से स्माल स्केल और एसिलियरी इंडस्ट्रीज में प्रोवाइड किए हैं। मगर इसके साथ-साथ एक और प्रावधान इस बिल में रखा है जिसकी ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आपने सब-सेक्शन 2-डी जो रखा है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया है कि बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए छोटे-छोटे आइटम्स जो उनके उद्योग के लिए आवश्यक हैं, उनके लाइसेंस उन बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज को दे सके जिनका आपने इन 872 आइटम्स के अन्दर रखा है। इसका मतलब यह हुआ कि इन बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज जिनकी मोनोपली छोटे-छोटे आइटम्स से समाप्त करके और छोटी-छोटी स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को देकर छोटे-छोटे लोगों को उत्पादन बढ़ा कर अपनी आर्थिक हालत मजबूत करने की बात थी, उसकी जगह पर आपने उसको इसी में शामिल कर दिया है। जब आपने 2-डी इसमें शामिल किया है तो इसका मतलब यह हुआ कि इस प्रकार के आइटम्स जिन के जरिए से स्माल स्केल और एसिलियरी

इंडस्ट्रीज बड़ी हो सकती थीं और जिनको बनाकर छोटे-छोटे लोग अपना जीवन यापन कर सकते थे उसको आपने खत्म कर दिया। मैं एक उदाहरण देता हूँ। भिवानी में बिरला जी का एक काटन टेक्सटाइल मिल चल रहा है। इस मिल में कपड़ा तो वह बनाते नहीं हैं क्योंकि कपड़ा बनाने में या सूत कातने में उनको नुकसान होता है। अब बने हुए कपड़े को छापने का काम उन्होंने शुरू कर दिया। छापने का काम आप जानते हैं इन 872 आइटम्स में से है जिसके जरिए से स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लोग अपना जीवन यापन कर सकते थे लेकिन उसके लिए उनको लाइसेंस दे दिया गया जबकि उनको इसका लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट और आपके टेक्सटाइल कमिशनर के जरिए से इस प्रकार की व्यवस्था की गई जिसके जरिए से बड़े-बड़े मोनोपली हाउसेज को और जो सबसे बड़ा मोनोपली हाउस देश के अन्दर है उसको कपड़ा छापने का लाइसेंस दे दिया। जो जब आप इस प्रकार का आइटम इन बड़े-बड़े लोगों को देंगे तो फिर स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के बढ़ने की व्यवस्था किस प्रकार से हो सकेगी?

मेरे जिले भीलवाड़ा में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल है। उसकी मील ठीक प्रकार से नहीं चलती हालांकि गवर्नमेंट का करोड़ों रुपया उसने लोन ले लिया। उसने भी अब यही आइटम शुरू कर दिया कि जो कपड़ा बनाते हैं उसका छाप-छापकर लोगों को महंगे भाव में बेचते हैं। इस प्रकार स्माल स्केल इंडस्ट्रीज का काम वह अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं।

ऐसे ही आपकी एक पब्लिक अंडरटेकिंग है सांभर साल्ट। साल्ट बनाने का काम

समाल स्केल इण्डस्ट्रीज को मिलना चाहिए लेकिन आपने गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बना रखी है। हमें उसमें कोई एतराज नहीं है, सरकार इसको बनाए और लोगों को सस्ते भाव पर उपलब्ध कराए। मगर सरकार के जो काम करने वाले लोग हैं, जो लेबर का काम करते हैं, उनकी लेबर कोआपरेटिव जो वहां पर बनी हुई है उससे छीन कर वह काम भी बड़े-बड़े ठेकेदारों को देना शुरू कर दिया है। तो इस में क्या आप को कहीं पर भी कोई आकूल व्यवस्था नजर आती है? आपकी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग भी लेबर कोआपरेटिव सोसाइटी जो 1933 से बनी हुई है उसको लेबर का कान्ट्रैक्ट न दे कर बड़े-बड़े ठेकेदारों को बांटने की कोशिश

कर रही है। ताकि उन लोगों को कोई आर्थिक नुकसान न हो। इस तरह की जो व्यवस्था है वह निश्चित तरीके से रोकी जानी चाहिए। मंत्री जी इसकी व्यवस्था अवश्य करें।

MR. DEPUTY SPEAKER : Mr. Vyas, have you ever concluded your speech in five minutes at any time in all these four years? No. Therefore, you can continue tomorrow.
18.00 hrs.

*The Lok Sabha then adjourned till
eleven of the clock of Friday
March 2, 1984/Phalguna
12, 1905 (Saka)*